

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 13-12-2025

### विषय सूची

- » कैबिनेट द्वारा शांति(SHANTI) विधेयक को स्वीकृति
- » कैबिनेट द्वारा भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान
- » स्पेक्ट्रम के लिए अंतरिक्षीय संघर्ष
- » नीति आयोग द्वारा 'भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार को सुदृढ़ करना' विषय पर रिपोर्ट जारी
- » भारत पैक्स सिलिका पहल से बाहर

### संक्षिप्त समाचार

- » प्रेह विहार मंदिर
- » प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज
- » राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की प्रथम बैठक
- » कोलसेतु(CoalSETU) नीति
- » अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)
- » प्रोजेक्ट सनकैचर
- » सुपरनोवा
- » भारत का वनाग्नि प्रबंधन प्रस्ताव UNEA-7 में अपनाया

## कैबिनेट द्वारा शांति(SHANTI) विधेयक को स्वीकृति

### संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को स्वकृति प्रदान की है, जिसका नाम शांति (भारत के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी की प्रगति का स्थायी उपयोग) रखा गया है।
  - ▲ यह विधेयक भारत के परमाणु क्षेत्र के लिए एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार करने का प्रयास करता है।

### परिचय

- परंपरागत रूप से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल राज्य-स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा ही संचालित किए जाते रहे हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार को प्रमुख कानूनों में संशोधन करना होगा;
  - ▲ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 – परमाणु ऊर्जा विकास और विनियमन का ढांचा।
  - ▲ नाभिकीय क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 – परमाणु घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र सुनिश्चित करता है।

### विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- परमाणु मूल्य श्रृंखला का आंशिक उद्घाटन: विधेयक निजी और वैश्विक कंपनियों को परमाणु खनिज अन्वेषण, नाभिकीय ईंधन निर्माण तथा परमाणु उपकरण एवं घटकों के निर्माण में भाग लेने की अनुमति देता है।
  - ▲ रिएक्टर संचालन और हथियार-संबंधी गतिविधियों जैसे मूल एवं रणनीतिक क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा।
- नाभिकीय दायित्व व्यवस्था का पुनर्गठन: विधेयक निवेशकों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने हेतु नई दायित्व रूपरेखा प्रस्तुत करता है;

- ▲ संचालकों, आपूर्तिकर्ताओं और सरकार के बीच दायित्व जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- ▲ वित्तीय अनिश्चितता को सीमित करने हेतु बीमा-समर्थित दायित्व सीमा लागू करना।
- ▲ निश्चित दायित्व सीमा से परे सरकारी समर्थन प्रदान करना।
- नाभिकीय सुरक्षा प्राधिकरण: विधेयक एक स्वतंत्र नाभिकीय सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
  - ▲ यह निकाय नियामक निगरानी को सुदृढ़ करेगा, सुरक्षा विनियमन को प्रचारात्मक भूमिकाओं से अलग करेगा और विश्वसनीयता व पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
- समर्पित नाभिकीय न्यायाधिकरण: यह विधेयक नाभिकीय विवादों को संभालने हेतु एक समर्पित न्यायाधिकरण की मांग करता है, जिससे विवाद समाधान को सुव्यवस्थित किया जा सके और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़े।

### सुधार के पीछे रणनीतिक तर्क

- भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, उन्नत रिएक्टर तकनीक और तीव्र परियोजना निष्पादन की आवश्यकता होगी।
- ऊर्जा संक्रमण: परमाणु ऊर्जा स्वच्छ, विश्वसनीय बेसलोड ऊर्जा प्रदान करती है, जो अस्थिर नवीकरणीय ऊर्जा को पूरक करती है।
  - ▲ यह जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके जलवायु समझौतों के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करती है।
- ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना: परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण ईंधन आयात और भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है।



## PRIVATE SECTOR IN NUCLEAR POWER: BENEFITS vs. CONCERNS


### BENEFITS OF PRIVATE SECTOR INVOLVEMENT



**Faster Capacity Expansion:** Private investment will help bridge the financial gap needed for rapid nuclear power growth.



**Technological Advancement:** Collaboration with private companies drive innovation and bring in global expertise.




**Cost Efficiency:** Competitive bidding and private participation will help reduce project costs and delays.



**Energy Security:** Increased nuclear power generation helps India reduce dependence on fossil fuels and meet clean energy goals.

### CONCERNS TO PRIVATE SECTOR ENTRY



**Regulatory Hurdles:** Amendments to existing laws are required to enable private sector participation.



**High Capital Requirement:** Nuclear power projects involve long gestation periods and large upfront investments, which deters private players.



**Liability Concerns:** The Civil Liability for Nuclear Damage Act imposes high liability on operators, making private investment risky.



**Safety and Security:** Nuclear energy requires strict safety protocols, and allowing private firms to operate reactors necessitates robust regulatory oversight.



**Public Perception:** Concerns over nuclear safety, waste management, and radiation risks will face public resistance.

### आगे की राह

- **स्पष्ट नियामक ढांचा:** सुरक्षा, अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ नियामक वातावरण स्थापित करना, जिससे जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान हो सके।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा देना, जिनमें सरकार निगरानी बनाए रखे, जबकि निजी खिलाड़ी संचालन, नवाचार और निवेश संभालें, ताकि हितों का संतुलन सुनिश्चित हो।
- **क्रमिक कार्यान्वयन:** जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को पायलट परियोजनाओं और छोटे पैमाने की पहलों से शुरू करना, और फिर बड़े पैमाने पर लागू करना।

Source: TH

### कै बिनेट द्वारा भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान

#### संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को स्वीकृति प्रदान की है।

### परिचय

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की मंजूरी प्रधानमंत्री की तीन देशों – जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान – की यात्रा से पहले दी गई है।
  - ▲ इसे ओमान की संसद के निम्न सदन द्वारा भी स्वीकृति दी गई है।
- प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा देश की उनकी दूसरी यात्रा होगी और यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के साथ सामंजस्यशील है।
- **FTA:** इस समझौते पर वार्ता आधिकारिक रूप से 2023 में शुरू हुई थी।
  - ▲ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में दो व्यापारिक साझेदार अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को अत्यंत सीमा तक कम या समाप्त कर देते हैं।
  - ▲ वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाते हैं।
  - ▲ भारत ने पहले ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के एक अन्य सदस्य यूएई के साथ इसी तरह का समझौता किया है, जो 2022 में प्रभावी हुआ।

### FTA की प्रमुख विशेषताएँ

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के साथ भारत को ओमान में अपनी 98% वस्तुओं तक पहुँच और सेवाओं में महत्वपूर्ण पहुँच मिलेगी।
- ओमान का आयात शुल्क 0% से 100% तक होता है और विशिष्ट शुल्क भी उपस्थिति हैं।
- व्यापार के अतिरिक्त दोनों पक्षों के बीच निवेश प्रवाह भी इस समझौते से लाभान्वित होने की संभावना है।

### भारत-ओमान संबंध

- **राजनयिक संबंध:** 1955 में औपचारिक रूप से स्थापित हुए और 2008 में इन्हें रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
- **व्यापार संबंध:** FY 2023-2024 में ओमान भारत का 30वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, कुल व्यापार 8.947 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  - ▲ भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और ओमान खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
  - ▲ 2023 में भारत ओमान के कच्चे तेल निर्यात का चौथा सबसे बड़ा बाजार रहा, दक्षिण कोरिया के बाद।
- **निवेश संबंध:** भारत-ओमान के बीच 6,000 से अधिक संयुक्त उपक्रम ओमान में संचालित हो रहे हैं।
  - ▲ इन उपक्रमों में समय के साथ लगभग 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी लगी हुई है।
  - ▲ 2000 से 2025 के बीच भारत में ओमान की संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 605.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- **रक्षा सहयोग:** भारत और ओमान तीनों सेनाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं।
  - ▲ **सेना अभ्यास:** अल नजाह
  - ▲ **वायुसेना अभ्यास:** ईस्टर्न ब्रिज
  - ▲ **नौसेना अभ्यास:** नसीम अल बहर

- **समुद्री सहयोग:** ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिससे भारत अपने तेल आयात का पाँचवाँ हिस्सा आयात करता है।
  - ▲ भारत ने 2018 में ओमान के दुकम बंदरगाह तक पहुँच के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - ▲ दुकम बंदरगाह ओमान के दक्षिण-पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है, जो अरब सागर और हिंद महासागर की ओर देखता है। यह रणनीतिक रूप से ईरान के चाबहार बंदरगाह के निकट स्थित है।

### GCC के बारे में

- यह छह मध्य-पूर्वी देशों – सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन एवं ओमान – का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
- इसकी स्थापना 1981 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच एकता प्राप्त करना है, जो उनके साझा उद्देश्यों और समान राजनीतिक व सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है, जो अरब एवं इस्लामी संस्कृतियों में निहित हैं।
- परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष घूर्णन आधार पर बदलती है।



### आगे की राह

- यथार्थवादी राजनीति (Realpolitik) और रणनीतिक हितों ने भारत को खाड़ी देशों के पास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और दोनों पक्ष सहयोग करने के इच्छुक हैं।
- दीर्घकाल में, रक्षा औद्योगिक सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उनके रणनीतिक सहयोग का एक केंद्रीय घटक बनने की संभावना है।

- राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सैन्य-सुरक्षा हितों का संगम भारत की खाड़ी देशों के साथ कूटनीति को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

Source: DD


## स्पेक्ट्रम के लिए अंतरिक्षीय संघर्ष

### संदर्भ

- उच्च गति कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग से प्रेरित सैटेलाइट मेगाकॉन्स्टेलेशन का तीव्र विस्तार सीमित स्पेक्ट्रम और कक्षीय स्लॉट्स के लिए वैश्विक संघर्ष को तीव्र कर रहा है।

### सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है?

- सैटेलाइट स्पेक्ट्रम उन रेडियो आवृत्तियों को संदर्भित करता है जो सैटेलाइट संचार के लिए उपयोग की जाती हैं।
  - ये आवृत्तियाँ सैटेलाइट आधारित प्रणालियों को कक्षा में उपस्थित उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा एवं सिग्नल प्रसारित करने में सक्षम बनाती हैं।



- स्थलीय स्पेक्ट्रम के विपरीत, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम राष्ट्रीय क्षेत्रीय सीमाओं के बिना संचालित होता है और इसे वैश्विक स्तर पर अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को विभिन्न आवृत्ति बैंडों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक विशेष प्रकार के संचार के लिए उपयुक्त होता है।

### भारत में स्पेक्ट्रम आवंटन

- सैटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम दूरसंचार अधिनियम, 2023 की प्रथम अनुसूची का भाग है ("प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम का आवंटन")।
- अधिनियम की धारा 4(4) के अंतर्गत, दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी द्वारा आवंटन किया जाएगा "सिवाय उन प्रविष्टियों के जो प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जिनका आवंटन प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।"
- अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रक्रिया का अर्थ है बिना नीलामी (बोली प्रक्रिया) के स्पेक्ट्रम का आवंटन।

### स्पेक्ट्रम के लिए अंतरिक्षीय संघर्ष

- स्पेक्ट्रम कंजेशन:** Ku, Ka और L बैंड की अत्यधिक मांग है। ओवरलैपिंग आवृत्तियाँ हस्तक्षेप का जोखिम उत्पन्न करती हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता घटती है और GPS जैसी महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियाँ प्रभावित होती हैं।
- कक्षीय कंजेशन और मलबा:** पृथ्वी की कक्षा में पहले से ही 40,000 से अधिक ट्रैक किए गए ऑब्जेक्ट उपस्थित हैं, जिनमें 10 सेमी से बड़े 27,000+ मलबे शामिल हैं।
  - अनुमान है कि 2030 तक 50,000+ उपग्रह कक्षा में होंगे, जिससे टकराव का जोखिम बढ़ेगा और वैज्ञानिक अवलोकन जटिल होंगे।
- ITU की प्रथम-आगमन, प्रथम-सेवा प्रणाली:** यह प्रणाली उन देशों एवं कंपनियों को लाभ देती है जिनके पास संसाधन हैं और जो जल्दी फाइल कर सकते हैं तथा जटिल समन्वय प्रबंधित कर सकते हैं। देर से आने वालों के पास कम और कम मूल्यवान स्पेक्ट्रम-कक्षा विकल्प बचते हैं।



- **डिजिटल विभाजन और वहनीयता:** LEO उपग्रह 20–40 ms की कम विलंबता प्रदान करते हैं, जिससे टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा संभव होती है।
  - ▲ लेकिन वहनीयता चुनौती बनी हुई है क्योंकि स्टारलिनक टर्मिनल की कीमत \$600 है, जो अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या के लिए महंगी है।
  - ▲ ITU का अनुमान है कि वैश्विक डिजिटल अंतर को समाप्त करने के लिए 2030 तक \$2.6–2.8 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी।

### अनियंत्रित स्पेक्ट्रम प्रतिस्पर्धा के परिणाम

- **प्रौद्योगिकीय परिणाम:** बढ़ते हस्तक्षेप से रिमोट सेंसिंग, GPS और जलवायु अवलोकन जैसी सेवाओं की विश्वसनीयता घटती है।
  - ▲ वैज्ञानिक खगोल विज्ञान उज्ज्वल उपग्रह ट्रेल्स और रेडियो शोर से प्रभावित होता है।
- **आर्थिक परिणाम:** शुरुआती खिलाड़ी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजारों में एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम की कमी देर से आने वालों के लिए तैनाती की लागत बढ़ाती है।
- **भू-राजनीतिक परिणाम:** स्पेक्ट्रम तक असमान पहुँच उन्नत और विकासशील देशों के बीच रणनीतिक विभाजन को गहरा करती है।
- **सामाजिक परिणाम:** वहनीयता सुधारों के बिना, सैटेलाइट इंटरनेट अमीर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रीमियम अवसरचना बन सकता है, न कि वंचित समुदायों के लिए। इससे वैश्विक डिजिटल अंतर को कम करने की इसकी क्षमता कमजोर होती है।

### विश्व रेडियोसंचार सम्मेलन के अंतर्गत सुधार

- विश्व रेडियोसंचार सम्मेलन 2023 ने प्रस्ताव 8 के माध्यम से प्रमुख सुधार प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं:
  - ▲ ऑपरेटरों को नियोजित और वास्तविक कक्षीय तैनाती के बीच किसी भी विचलन की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया ताकि फाइलिंग के दुरुपयोग को रोका जा सके।

- मेगाकॉन्स्टेलेशन के लिए चरणबद्ध तैनाती मानक तय किए गए:
  - ▲ 2 वर्षों में 10%
  - ▲ 5 वर्षों में 50%
  - ▲ 7 वर्षों में पूर्ण तैनाती ताकि स्पेक्ट्रम और कक्षीय संसाधनों का समय पर और जवाबदेही के साथ उपयोग सुनिश्चित हो सके।

### आगे की राह

- स्पेक्ट्रम-कक्षा प्रतिस्पर्धा को नवाचार और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए अद्यतन वैश्विक शासन की आवश्यकता है। इसमें पारदर्शी समन्वय, सुदृढ़ मलबा शमन और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।
- भारत जैसे उभरते अंतरिक्षीय देशों के लिए इन मानदंडों को आकार देने में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है ताकि बाह्य अंतरिक्ष स्थायी और समावेशी बना रहे।

### अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

- ITU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसके 194 सदस्य राष्ट्र हैं।
- इसकी स्थापना 1865 में संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए की गई थी।
- यह सैटेलाइट स्पेक्ट्रम और कक्षीय स्लॉट्स का एकमात्र वैश्विक समन्वयक है।
- भारत 1869 से ITU का सदस्य है।
- **कार्य:**
  - ▲ यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट कक्षाओं का आवंटन करता है।
  - ▲ यह तकनीकी मानक विकसित करता है ताकि नेटवर्क और तकनीकें सहजता से जुड़ सकें।
  - ▲ यह वंचित समुदायों के लिए ICTs तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास करता है।

Source: TH

### नीति आयोग द्वारा 'भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार को सुदृढ़ करना' विषय पर रिपोर्ट जारी

#### संदर्भ

- नीति आयोग ने “भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार को सुदृढ़ करना” शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है।

## परिचय

- यह रिपोर्ट भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा की समीक्षा करती है—जो निगमों, अवसंरचना, MSMEs एवं उभरते क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख वित्तपोषण मार्ग है।
- एक गहरा और तरल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार दीर्घकालिक पूंजी एकत्रित करने में सहायता करता है, बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है तथा आर्थिक विकास को समर्थन देता है।
- यह अवसंरचना, जलवायु कार्यों, MSMEs और **विकसित भारत 2047** लक्ष्यों से जुड़े उभरते क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।


## कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है?

- कॉर्पोरेट बॉन्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियाँ (Debt Securities) होते हैं।
- कंपनियाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं ताकि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन एकत्रित कर सकें, जैसे नया संयंत्र बनाना, उपकरण खरीदना या व्यवसाय का विस्तार करना।
- जब कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता है, तो वह “जारीकर्ता” अर्थात कंपनी को धन उधार देता है।
- इसके बदले कंपनी यह वादा करती है कि वह निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि पर मूलधन (Principal) वापस करेगी। उस तिथि तक कंपनी सामान्यतः एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करती है, सामान्यतः अर्धवार्षिक।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनी की ओर से एक IOU (I owe you) होता है, लेकिन यह कंपनी में स्वामित्व अधिकार नहीं देता, जैसा कि इक्विटी शेयर खरीदने पर मिलता है।

## रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

- विकास और वर्तमान स्थिति:** बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड ₹17.5 ट्रिलियन (FY2015) से बढ़कर ₹53.6 ट्रिलियन (FY2025) हो गए, ~12% वार्षिक वृद्धि दर के साथ।
- बाज़ार का आकार GDP का 15–16% है, जो सुधरा है लेकिन दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीन जैसे देशों से अभी भी कम है।

- कॉर्पोरेट बॉन्ड फंडरेजिंग अब बैंक ऋण स्तरों के करीब पहुँच रही है, जो बाज़ार-आधारित वित्तपोषण की ओर क्रमिक बदलाव का संकेत है।



- रणनीतिक महत्व:** एक गहरा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार 2047 तक \$30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है।
  - यह दीर्घकालिक, कम लागत वाली पूंजी एकत्रित करने में सक्षम बनाता है, जो अवसंरचना, उद्योग, जलवायु कार्यों और उभरते क्षेत्रों को समर्थन देता है।
  - यह बैंकों को पूरक करता है, प्रणालीगत जोखिमों को कम करता है, मौद्रिक प्रसारण को सुदृढ़ करता है और एक लचीली वित्तीय संरचना को समर्थन देता है।
  - रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार 2030 तक ₹100–120 ट्रिलियन (लगभग \$1.3–1.4 ट्रिलियन) से अधिक हो सकता है, बशर्ते सुदृढ़ संरचनात्मक सुधार और संस्थागत क्षमता निर्माण किए जाएँ।
- इक्विटी बनाम बॉन्ड बाज़ार असंतुलन:** भारत का इक्विटी बाज़ार USD 4.8 ट्रिलियन मूल्य का है जबकि बॉन्ड बाज़ार USD 642 बिलियन का है।
  - इक्विटी बाज़ार बॉन्ड बाज़ार से लगभग 7 गुना बड़ा है, जो महत्वपूर्ण असंतुलन को दर्शाता है।
- संरचनात्मक सीमाएँ:**
  - जारीकर्ता एकाग्रता:** शीर्ष-रेटेड निगमों का प्रभुत्व; MSMEs की सीमित भागीदारी।
  - निवेशक एकाग्रता:** संस्थागत निवेशकों पर भारी निर्भरता; खुदरा और FPI भागीदारी कम।

- ▲ **बाज़ार संरचना:** निजी प्लेसमेंट का प्रभुत्व; द्वितीयक बाज़ार तरलता कमजोर।
- ▲ **नियामक बाधाएँ:** ओवरलैपिंग नियामक, उच्च अनुपालन लागत, प्रक्रियात्मक विलंब।
- ▲ **निवेश प्रतिबंध:** बीमा और पेंशन फंड्स को कम-रेटेड प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा।
- ▲ **कमजोर सक्षम कारक:** अक्षम ऋण वसूली, कर असमानताएँ, उच्च लेनदेन लागत।
- **सुदृढ़ बॉन्ड बाज़ार के आर्थिक लाभ:**
  - ▲ संस्थागत और घरेलू बचत को उत्पादक निवेश में चैनल करता है।
  - ▲ जोखिम प्रबंधन उपकरणों के विकास को समर्थन देता है।
  - ▲ अवसंरचना, हरित परिवर्तन, MSMEs और नवाचार-आधारित क्षेत्रों के लिए स्थिर वित्तपोषण प्रदान करता है।
- **वैश्विक अनुभव और सीख:**
- अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों ने सफलता पाई है:
- सुसंगत और एकीकृत विनियमन;
- सुदृढ़ बाज़ार अवसंरचना;
- सक्रिय मार्केट-मेकिंग और गहरे द्वितीयक बाज़ार;
- सुव्यवस्थित प्रकटीकरण और क्रेडिट संवर्द्धन तंत्र।
- ये विशेषताएँ तरलता, निवेशक विविधता और वित्तपोषण गहराई को बढ़ाती हैं।

### भारत में किए गए सुधार

- **SEBI:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए RFQ प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खुदरा पहुँच को सुगम बनाया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और डिबेंचर ट्रस्टीज के लिए शासन मानकों को सुदृढ़ किया तथा निर्गम मानदंडों को सरल बनाया।
- **RBI:** निपटान संरचना को बेहतर बनाया, त्रि-पक्षीय रेपो और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स शुरू किए, तथा रेपो व क्लियरिंग तंत्र के विकास का समर्थन किया।
- **सरकार:** अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs), रियल

एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) और ग्रीन फाइनेंस पहलों को बढ़ावा दिया ताकि दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके तथा पूंजी बाज़ार को गहराई दी जा सके।

- सामूहिक रूप से, इन सुधारों ने एक अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रौद्योगिकी-चालित बॉन्ड बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ नींव रखी है।

### सुधार रोडमैप (चरणबद्ध दृष्टिकोण)

- **अल्पकालिक प्राथमिकताएँ:**
  - ▲ विनियमों को सुव्यवस्थित करना और अंतर-नियामक समन्वय में सुधार करना।
  - ▲ बाज़ार अवसंरचना और डिजिटल पहुँच को सुदृढ़ करना।
  - ▲ व्यापक जारीकर्ता भागीदारी के लिए निर्गम को सरल बनाना।
  - ▲ त्वरित उपलब्धियों और प्रारंभिक तरलता सुधारों के माध्यम से विश्वास बनाना।
- **मध्यम से दीर्घकालिक प्राथमिकताएँ:**
  - ▲ एकीकृत नियामक संरचना और सुदृढ़ समाधान तंत्र।
  - ▲ सक्रिय मार्केट-मेकिंग और रेपो सुविधाओं के साथ गहरे द्वितीयक बाज़ार।
  - ▲ व्यापक जारीकर्ता आधार (मध्यम आकार की कंपनियाँ, नए परिसंपत्ति वर्ग)।
  - ▲ उत्पाद नवाचार: लंबी अवधि वाले बॉन्ड, क्रेडिट-संवर्द्धित उपकरण, स्थिरता-लिंक्ड बॉन्ड।
  - ▲ निवेशक आधार का विस्तार (बीमा, पेंशन, खुदरा, FPIs)।
  - ▲ डिजिटल नवाचारों का लाभ उठाना (टोकनाइज्ड बॉन्ड, एकीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म)।

Source: PIB

### भारत पैक्स सिलिका पहल से बाहर

#### संदर्भ

- भारत को अमेरिका-नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका (Pax Silica) पहल से बाहर रखा गया है, जो अमेरिका की नई महत्वपूर्ण खनिज विविधीकरण योजना है।



## परिचय


- **पैक्स सिलिका** एक अमेरिका-नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों से एक सुरक्षित, समृद्ध और नवाचार-प्रेरित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।
- पहला पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।
  - ▲ ये देश सामूहिक रूप से उन सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों और निवेशकों का केंद्र हैं जो वैश्विक **AI आपूर्ति श्रृंखला** को शक्ति प्रदान करते हैं।
- इसका उद्देश्य दबावपूर्ण निर्भरताओं को कम करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नींव बनने वाली सामग्रियों और

क्षमताओं की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सहयोगी राष्ट्र बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी तकनीकों का विकास एवं तैनाती कर सकें।

- देश वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला के रणनीतिक हिस्सों को सुरक्षित करने के लिए साझेदारी करेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

## महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्वपूर्ण खनिज वे तत्व हैं जो आधुनिक तकनीकों के निर्माण खंड हैं और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के जोखिम में रहते हैं।
  - ▲ इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में इनके खनन या प्रसंस्करण का संकेंद्रण “आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान” का कारण बन सकता है।



## महत्वपूर्ण खनिजों की सूची

- विभिन्न देशों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की अलग-अलग सूचियाँ होती हैं।
- भारत के लिए कुल 30 खनिज सबसे महत्वपूर्ण पाए गए हैं: एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ़्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटैश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनाडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

Source: IE

## संक्षिप्त समाचार

### प्रेह विहार मंदिर

#### समाचार में

- भारत ने प्रेह विहार मंदिर परिसर में संरक्षण सुविधाओं को हुई हानि की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की है।

#### प्रेह विहार मंदिर के बारे में

- यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और कंबोडिया में थाईलैंड की सीमा के पास स्थित है।
- इसका निर्माण मुख्य रूप से खमेर राजाओं सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय (9वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी) के शासनकाल में हुआ था।
- इसे 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

स्रोत: TH

### प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज

#### समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड के दौरान मारे गए सभी डॉक्टरों को ₹50 लाख का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKY) बीमा देने का आदेश दिया।

#### पीएमजीकेपी बीमा योजना के बारे में

- अवलोकन:** पीएमजीकेपी बीमा योजना, मार्च 2020 में शुरू किए गए बड़े प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक विशेष घटक है।
- कवरेज:** पात्र स्वास्थ्यकर्मियों को ₹50 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरा।
- जोखिम शामिल:
  - कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु।
  - कोविड-संबंधित ड्यूटी करते समय आकस्मिक मृत्यु।

स्रोत: TH

### राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की प्रथम बैठक

#### समाचार में

- राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की प्रथम बैठक के दौरान ₹476.03 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना मखाना के समग्र विकास के लिए शुरू की गई।

#### परिचय

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा को पूरा करता है।
- बोर्ड की स्थापना भारत के मखाना क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इसका मुख्यालय पूर्णिया, बिहार में स्थित है।

#### क्या आप जानते हैं?

- मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट (Fox Nut) कहा जाता है, कांटेदार जलकुम्भी या गॉर्गन पौधे (Euryale ferox) का सूखा खाद्य बीज है।
- यह पौधा दक्षिण और पूर्व एशिया के स्वच्छ जल के तालाबों में पाया जाता है।
- इसे इसके बैंगनी और सफेद फूलों तथा बड़े, गोल एवं कांटेदार पत्तों के लिए जाना जाता है, जो प्रायः एक मीटर से अधिक व्यास के होते हैं।
- मखाना पौधे का खाद्य भाग छोटे, गोल बीज होते हैं जिनकी बाहरी परत काले से भूरे रंग की होती है।
  - इसी कारण इसे 'ब्लैक डायमंड' कहा जाता है।
- 2022 में 'मिथिला मखाना' को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया।
- मखाना (गॉर्गन नट या फॉक्सनट) एक जलीय फसल है और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है।

Source : PIB

### कोलसेतु (CoalSETU) नीति

#### समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलसेतु (CoalSETU) नीति को स्वीकृति दी है, जो औद्योगिक उपयोग के लिए

कोयला आवंटन में पारदर्शिता, दक्षता और लचीलापन बढ़ाने हेतु कोयला लिंकज नीलामी की नई प्रणाली प्रस्तुत करती है।

### कोलसेतु नीति के बारे में

- **अवलोकन:** कोलसेतु वर्तमान गैर-नियंत्रित क्षेत्र (NRS) लिंकज नीलामी नीति 2016 के तहत एक नई नीलामी विंडो बनाता है।
- **पात्रता और दायरा:** किसी भी घरेलू कोयला खरीदार (व्यापारियों को छोड़कर) के लिए खुला; कोकिंग कोयला शामिल नहीं; लचीलापन हेतु पूर्व उपयोग-आधारित प्रतिबंध हटाए गए।
- **उपयोग प्रतिबंध:** कोयला केवल स्वयं की खपत, निर्यात (50% तक), कोयला धुलाई या अन्य अनुमत उद्देश्यों के लिए; घरेलू पुनर्विक्रय निषिद्ध।
- **महत्व:** पारदर्शिता बढ़ाता है, व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करता है, घरेलू कोयला उपयोग को तीव्र करता है, आयात निर्भरता घटाता है और वाणिज्यिक खनन सुधारों के अनुरूप है।

स्रोत: PIB

## अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)

### समाचार में

- भारत ने रोम में आयोजित IFAD-इंडिया डे कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और जलवायु-लचीली कृषि में अपनी उपलब्धियाँ प्रदर्शित कीं।

### अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के बारे में

- **मुख्यालय:** रोम, इटली।
- IFAD एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1977 में विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी से लड़ने के लिए लक्षित वित्तपोषण के माध्यम से की गई थी।
- IFAD रियायती ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, मुख्यतः छोटे किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीण उद्यमियों को।
- इसका जोर कृषि, जलवायु लचीलापन, मूल्य-श्रृंखला विकास और आजीविका विविधीकरण पर है।

स्रोत: PIB

## प्रोजेक्ट सनकैचर

### संदर्भ

- गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है, जो 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से संचालित डेटा केंद्र स्थापित करने की दीर्घकालिक शोध पहल है।

### परिचय

- इस परियोजना के अंतर्गत, गूगल उच्च-प्रदर्शन AI हार्डवेयर से लैस उपग्रहों के समूहों का अन्वेषण कर रहा है।
- यह नेटवर्क Starlink की उपग्रह प्रणाली जैसा होगा, लेकिन इसका ध्यान इंटरनेट वितरण पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष-आधारित कंप्यूटिंग पर होगा।
- ये उपग्रह सौर ऊर्जा पर चलेंगे और नोड्स को जोड़ने तथा डेटा को टेराबिट गति से स्थानांतरित करने के लिए फ्री-स्पेस ऑप्टिकल लिंक का उपयोग करेंगे।
- अंतरिक्ष में सौर पैनल पृथ्वी की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और लगभग निरंतर।

### अंतरिक्ष क्यों ?

- पृथ्वी पर AI-आधारित डेटा केंद्र भारी मात्रा में विद्युत और जल की खपत कर रहे हैं।
- उनकी ऊर्जा मांग 2030 तक 165% तक बढ़ सकती है, जिससे जलवायु तनाव और अधिक गंभीर होगा।
- साथ ही ये आपदाओं और केबल व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे।

Source: IE

## सुपरनोवा

### संदर्भ

- खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) का उपयोग करते हुए एक दुर्लभ सुपरनोवा की पहचान की है, जो एक लंबे गामा-रे विस्फोट से जुड़ा है। यह घटना बिग बैंग के लगभग 730 मिलियन वर्ष बाद की है।

### सुपरनोवा क्या है?


- **तारों में हाइड्रोजन टैटिक संतुलन:** एक तारा इसलिए जीवित रहता है क्योंकि उसमें दो शक्तियों के बीच संतुलन होता है—




- ▲ गुरुत्वाकर्षण, जो पदार्थ को अंदर की ओर खींचता है, और
- ▲ नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion), जो हाइड्रोजन को हीलियम और बाद में भारी तत्वों में बदलकर ऊर्जा बाहर की ओर छोड़ता है।
- **सुपरनोवा** एक शक्तिशाली और अत्यंत प्रकाशमान तारकीय विस्फोट है, जो तब होता है जब कोई तारा अपने जीवन के अंत तक पहुँच जाता है। यह तब होता है जब एक विशाल तारे का कोर नाभिकीय ईंधन समाप्त होने के बाद गुरुत्वाकर्षण के दबाव में ध्वस्त हो जाता है।
  - ▲ यह ध्वंस एक झटका-तरंग (Shockwave) उत्पन्न करता है, जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है और सुपरनोवा का निर्माण करता है।

### सुपरनोवा के प्रकार

- **कोर-ध्वंस सुपरनोवा (Type II, Ib, Ic):** ये सुपरनोवा उन विशाल तारों में होते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य से कम-से-कम आठ गुना अधिक होता है। जब नाभिकीय संलयन रुक जाता है, तो कोर ध्वस्त हो जाता है और बाहरी परतें बाहर की ओर विस्फोटित हो जाती हैं। इसके बाद पीछे बचता है—
  - ▲ एक **न्यूट्रॉन तारा** (यदि द्रव्यमान सूर्य से कम-से-कम आठ गुना अधिक हो), या
  - ▲ एक **ब्लैक होल** (यदि द्रव्यमान सूर्य से कम-से-कम 20 गुना अधिक हो)।



- **थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा (Type Ia):** यह द्वितारा प्रणाली (Binary Star System) में होता है, जहाँ एक श्वेत बौना तारा (White Dwarf) अपने साथी तारे से पदार्थ ग्रहण करता है।
  - ▲ जब श्वेत बौना लगभग **1.4 सौर द्रव्यमान (चंद्रशेखर सीमा)** से अधिक हो जाता है, तो कोर का संपीड़न और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है।
  - ▲ इसका परिणाम एक **Type Ia सुपरनोवा** होता है, जिसमें कोई कोर अवशेष नहीं बचता।



## भारत का वनाग्नि प्रबंधन प्रस्ताव UNEA-7 में अपनाया

### संदर्भ

- भारत का प्रस्ताव “वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ करना” नैरोबी, केन्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-7) के सातवें सत्र में अपनाया गया।

### परिचय

- भारत ने UNEP की वैश्विक रिपोर्ट ‘स्प्रेडिंग लाइक वाइल्डफ़ायर’ की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहती हैं तो वनाग्नियाँ 2030 तक 14%, 2050 तक 30% और 2100 तक 50% तक बढ़ सकती हैं।
- भारत ने प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया से सक्रिय रोकथाम की ओर बदलाव का आह्वान किया, जिसमें बेहतर

योजना, शीघ्र चेतावनी और समय पर जोखिम-निवारण उपाय शामिल हैं।

- वैश्विक अग्नि प्रबंधन हब, जिसे 2023 में FAO और UNEP द्वारा स्थापित किया गया था, को अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन के लिए एक प्रमुख तंत्र के रूप में मान्यता दी गई।

### भारत के प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना
- क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना
- ज्ञान साझा करना और क्षमता निर्माण
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्य योजनाओं के लिए समर्थन
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त तक पहुँच को सुगम बनाना

**Source: PIB**

■■■■

